मोहम्मद अली बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 88 RTA नं. 122 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-11-24	वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 RTA का पेश होने पर पत्रावली मुरतीब हुई। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता वादी प्रतिवादीगण की तलबी बाबत रजि. डाक सां.डाक करवावे। प्रकरण दुरुस्ती का होने से तहसीलदार [illegible] से जांच रिपोर्ट मंगवाई जावे। मिसल वास्ते जांच रिपोर्ट दिनांक 27-11-2024 को पेश हो।	
27-11-24	पत्रावली देरहुई/राजस्व मण्डल अजमेर/बार संघ/चूरू कारण से पत्रावली दिनांक 29-11-24 को पेश हो।	
29-11-24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. अधिवक्ता वादी ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे दावा मे वादी ने निवेदन किया है कि इब्राहिम अली का पुत्र मोहम्मद का सही नाम मोहम्मद अली है एवं इब्राहिम के इस नाम का कोई अन्य वारिस नहीं है। वादी का अन्य दस्तावेजो मे नाम मोहम्मद अली है जबकि राजस्व रिकॉर्ड मे [illegible] है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2070-73 [illegible] 180, 183, 434 रोही ग्राम चन्देल [illegible] मे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील
	वादी का नाम मोहम्मद पुत्र इब्राहिम अली दर्ज है जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आदि मे वादी का नाम मोहम्मद अली पुत्र इब्राहिम अली दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजी नाम अलग-अलग होने से वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे परेशानी हो रही है। प्रतिवादी व इस प्रकार की दूसरी सहखातेदारान को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नही है। इस प्रकार न्यायहित मे वादी की ओर से प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि रोही ग्राम चन्देलनगर खेत खसरा नम्बर 180, 183, 434 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे वादी का नाम मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद अली घोषित किया जाता है। वादी की ओर से किसी प्रकार का तथ्य छुपाया जाता गया है तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। सरकारी [illegible] किसी प्रकार का बकाया या वादी के [illegible] पूर्व नाम [illegible] आपराधिक [illegible] राजस्व होगा। तहसीलदार [illegible] रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें। आदेश आज दिनांक 29-11-24 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी कर सर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:32 IST
Reason: SelfAttested